कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 384/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.10.2026

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 04.10.2026
थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

बकरी चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद 01 अभियुक्त गिरफ्तार

मुठभेड़ में अवैध तमंचा-कारतूस व ₹1,560 बरामद, पूछताछ में सिधारी की 02 व जीयनपुर की 01 बकरी चोरी की घटना का खुलासा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी पुलिस द्वारा बकरी चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन एवं चोरी की बकरी बेचने से प्राप्त ₹1,560/- बरामद हुए हैं। पूछताछ में थाना सिधारी क्षेत्र की 02 तथा थाना जीयनपुर क्षेत्र की 01 बकरी चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है।

घटना एवं पुलिस मुठभेड़ का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 04.10.2026 को प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह थाना सिधारी मय पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं अपराध की रोकथाम हेतु भ्रमणशील थे। शाहगढ़ चौराहे पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बकरी चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्य मोटरसाइकिल से डेन्टल कॉलेज इटौरा की तरफ से समेंदा होते हुए शाहगढ़ की ओर आ रहे है। सूचना पर उ0नि0 रंजन कुमार साव, चौकी प्रभारी इटौरा तथा उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव मय पुलिस टीम को साथ लेकर समेंदा-पूरा ठकुराई मार्ग स्थित लोहारी मोड़ पुलिया के पास घेराबंदी की गई। कुछ समय बाद एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा करने पर मोटरसाइकिल चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे मोटरसाइकिल गिर गई। चालक ने अपने साथी आसिफ को पुलिस टीम पर गोली चलाने के लिए कहा तथा स्वयं अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भाग गया।मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे अभियुक्त आसिफ द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी दिए जाने के बावजूद अभियुक्त द्वारा पुनः फायर करने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली अभियुक्त के दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी। अभियुक्त को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए प्राथमिक उपचार कराया गया तथा उपचार हेतु जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान आसिफ पुत्र हसीब निवासी अशरफपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 30 वर्ष के रूप में हुई।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01. आसिफ पुत्र हसीब निवासी अशरफपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 30 वर्ष।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ ने बताया कि वह कलीम पुत्र इस्लाम निवासी शाहपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आसपास के क्षेत्रों में बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। कलीम गिरोह का मुख्य व्यक्ति है तथा चोरी की घटनाओं के दौरान निगरानी एवं आने-जाने के लिए वाहन का प्रयोग किया जाता है। गिरोह के सदस्य पकड़े जाने अथवा किसी व्यक्ति के जाग जाने पर डराने-धमकाने एवं फायरिंग करने के उद्देश्य से अवैध असलहा रखते हैं। अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 20.09.2026 को समेंदा क्षेत्र से चोरी की गई बकरी को बेचने के बाद उसके हिस्से में ₹1,560/- आए थे, जो उसके पास से बरामद हुए। इसके अतिरिक्त दिनांक 29.09.2026 को दौलतपुर से 02 बकरी तथा दिनांक 16.09.2026 को बैरियाडिह, थाना जीयनपुर क्षेत्र से 03 बकरी चोरी करने की घटनाओं में शामिल होना स्वीकार किया।

घटना के अनावरण का विस्तृत विवरण—

1. थाना सिधारी मु0अ0सं0 404/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस — ग्राम दौलतपुर से 02 बकरी चोरी का खुलासा

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ पुत्र हसीब निवासी अशरफपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ ने बताया कि दिनांक 29.09.2026 को उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना सिधारी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दौलतपुर से 02 बकरियां चोरी की थीं।

2. थाना सिधारी मु0अ0सं0 405/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस — ग्राम समेंदा से बकरी चोरी का खुलासा एवं ₹1,560/- की बरामदगी

पूछताछ में अभियुक्त आसिफ ने बताया कि दिनांक 20.09.2026 को उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना सिधारी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम समेंदा से बकरी चोरी की थी। चोरी की गयी बकरी को बाद में बेच दिया गया, जिसमें प्राप्त धनराशि में से ₹1,560/- अभियुक्त के हिस्से में आए थे। अभियुक्त के कब्जे से बरामद ₹1,560/- के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त धनराशि चोरी की गयी बकरी को बेचने से प्राप्त होना बताया गया।

3. थाना जीयनपुर मु0अ0सं0 398/2026 धारा 305 बीएनएस — ग्राम बैरियाडिह से 03 बकरी चोरी का खुलासा

पूछताछ में अभियुक्त आसिफ ने बताया कि दिनांक 16.09.2026 को उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना जीयनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बैरियाडिह से 03 बकरियां चोरी की थीं।

पूछताछ में गिरोह के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी—

गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ ने पूछताछ में बताया कि वह कलीम पुत्र इस्लाम निवासी शाहपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आसपास के क्षेत्रों में बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। अभियुक्त के अनुसार कलीम गिरोह का नेतृत्व करता है तथा उसके पास मौजूद होण्डा सिटी कार का प्रयोग चोरी की घटनाओं के दौरान रेकी एवं आवागमन के लिए किया जाता था। आवश्यकता के अनुसार गिरोह द्वारा ऑटो का भी प्रयोग किया जाता था।

अभियुक्त ने बताया कि गिरोह के सदस्य पहले क्षेत्र में घूमकर बकरियों एवं उनके मालिकों की गतिविधियों पर नजर रखते थे तथा मौका देखकर बकरियों को चोरी कर ले जाते थे। चोरी की गयी बकरियों को बेचने के बाद प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लिया जाता था। अभियुक्त के कब्जे से बरामद ₹1,560/- इसी प्रकार दिनांक 20.09.2026 को समेंदा से चोरी की गयी बकरी को बेचने के बाद उसके हिस्से में प्राप्त होना बताया गया है।

पंजीकृत अभियोग—

गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ के विरुद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 409/2026 धारा 109(1)/303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

फरार/प्रकाश में आया अभियुक्त—

कलीम पुत्र इस्लाम निवासी शाहपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

पुलिस मुठभेड़ के दौरान कलीम मोटरसाइकिल छोड़कर अंधेरे का लाभ उठाते हुए मौके से फरार हो गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है तथा अन्य साथियों के संबंध में भी आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

आपराधिक इतिहास—

आसिफ पुत्र हसीब के विरुद्ध कुल 06 अभियोग पंजीकृत हैं—

1. मु0अ0सं0 340/18 धारा 323/364 भादवि, थाना जीयनपुर।
2. मु0अ0सं0 188/20 धारा 411/413/419/420/467/468/471 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/7/25 आर्म्स एक्ट, थाना जीयनपुर।
3. मु0अ0सं0 398/26 धारा 305 बीएनएस, थाना जीयनपुर।
4. मु0अ0सं0 404/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सिधारी।
5. मु0अ0सं0 405/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सिधारी।
6. मु0अ0सं0 409/26 धारा 109(1)/303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना सिधारी।

कलीम पुत्र इस्लाम के विरुद्ध कुल 38 अभियोग पंजीकृत हैं—

1. मु0अ0सं0 332/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना अतरौलिया।
2. मु0अ0सं0 339/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना अतरौलिया।
3. मु0अ0सं0 340/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना अतरौलिया।
4. मु0अ0सं0 64/16 धारा 120-B, 382, 506 भादवि, थाना बिलरियागंज।
5. मु0अ0सं0 373/24 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस व 111 भारतीय साक्ष्य अधि0, थाना बिलरियागंज।
6. मु0अ0सं0 387/24 धारा 305, 317(2), 317(4), 331(4) बीएनएस, थाना देवगाँव।
7. मु0अ0सं0 360/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर।
8. मु0अ0सं0 194/18 धारा 308, 452, 504, 506 भादवि, थाना जीयनपुर।
9. मु0अ0सं0 340/18 धारा 323, 364 भादवि, थाना जीयनपुर।
10. मु0अ0सं0 188/20 धारा 411, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि व 3, 5, 8 गोवध निवारण अधि0 व 25, 3, 7 आयुध अधि0, थाना जीयनपुर।
11. मु0अ0सं0 203/20 धारा 380, 411, 413, 420, 457, 467, 468, 471 भादवि, थाना जीयनपुर।
12. मु0अ0सं0 239/20 धारा 379, 411, 419, 420 भादवि, थाना जीयनपुर।
13. मु0अ0सं0 442/20 धारा 307, 399, 402 भादवि, थाना जीयनपुर।
14. मु0अ0सं0 445/20 धारा 411, 413 भादवि, थाना जीयनपुर।
15. मु0अ0सं0 487/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर।
16. मु0अ0सं0 395/24 धारा 111, 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस, थाना जहानागंज।
17. मु0अ0सं0 428/24 धारा 111, 305, 317(2), 317(4) बीएनएस, थाना जहानागंज।
18. मु0अ0सं0 14/24 धारा 379, 411 भादवि, थाना कन्धरापुर।
19. मु0अ0सं0 59/24 धारा 379, 411 भादवि, थाना कन्धरापुर।
20. मु0अ0सं0 91/24 धारा 379, 411 भादवि, थाना कन्धरापुर।
21. मु0अ0सं0 274/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कप्तानगंज।
22. मु0अ0सं0 321/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कप्तानगंज।
23. मु0अ0सं0 428/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना महराजगंज।
24. मु0अ0सं0 535/25 धारा 317(2), 317(4), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 4/25 आयुध अधि0, थाना मुबारकपुर।
25. मु0अ0सं0 515/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना निजामाबाद।
26. मु0अ0सं0 389/24 धारा 115(2), 351(2), 352, 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, थाना फूलपुर।
27. मु0अ0सं0 530/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना फूलपुर।
28. मु0अ0सं0 538/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना फूलपुर।
29. मु0अ0सं0 541/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना फूलपुर।
30. मु0अ0सं0 286/24 धारा 305, 317(2) बीएनएस, थाना रानी की सराय।
31. मु0अ0सं0 278/24 धारा 379, 411 भादवि, थाना रौनापार।
32. मु0अ0सं0 401/22 धारा 3, 5, 8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिधारी।
33. मु0अ0सं0 401/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना सिधारी।
34. मु0अ0सं0 284/24 धारा 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 379, 411, 411, 411, 411, 411, 411, 411 भादवि, थाना सरायमीर।
35. मु0अ0सं0 222/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना तहबरपुर।
36. मु0अ0सं0 404/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सिधारी।
37. मु0अ0सं0 405/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सिधारी।
38. मु0अ0सं0 409/26 धारा 109(1)/303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना सिधारी।

बरामदगी—

1. एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर।
2. एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
3. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
4. एक अदद मिस फायर कारतूस 315 बोर।

5. चोरी की बकरी बेचने से प्राप्त ₹1,560/- नगद।
6. घटना में प्रयुक्त एक अदद दोपहिया वाहन, धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज।

फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण—

घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस, खोखा, मिसफायर कारतूस, रक्तरंजित/सादा कंक्रीट, अभियुक्त के पैर की चप्पल एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य सुरक्षित किए गए। बरामदगी की कार्यवाही की वीडियोग्राफी BNSS की धारा 105 के अन्तर्गत ई-साक्ष्य एप के माध्यम से की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह, थाना सिधारी, आजमगढ़।
2. उ0नि0 रंजन कुमार साव, चौकी प्रभारी इटौरा।
3. उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव।
4. उ0नि0 शिवम द्विवेदी।
5. का0 इरफान खान।
6. का0 सत्यम श्रीवास्तव।
7. म0का0 अनुपमा मौर्य।
8. का0 नीरज यादव।
9. का0 अंकुर शुक्ला।
10. का0 मृत्युन्जय मिश्रा।
11. का0 विक्रांत विश्वकर्मा।
12. का0 त्रिवेणी शाह।
13. का0 शिवम शुक्ला।

प्रेस नोट, दिनांक–04.10.2026
थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के पीड़ित को ₹12,470.86/- की धनराशि वापस कराने में साइबर टीम रौनापार को मिली सफलता

विदेश भेजने के नाम पर ₹3,98,000/- की साइबर ठगी, NCRP पोर्टल पर ₹2,11,238.18/- धनराशि होल्ड कराकर ₹12,470.86/- पीड़ित के खाते में कराया गया वापस; शेष धनराशि वापस कराने की कार्रवाई प्रचलित

विवरण–

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रौनापार की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर फ्रॉड के पीड़ित की ₹12,470.86/- धनराशि वापस कराई गई है।

घटना का विवरण–

आवेदक अभिषेक सिंह पुत्र रामसिंह, निवासी ग्राम सहनूपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा विदेश जाने के लिए एक एजेन्ट को धनराशि दी गई थी। एजेन्ट द्वारा न तो आवेदक को विदेश भेजा गया और न ही उसकी धनराशि वापस की गई। इसके पश्चात आवेदक द्वारा दिनांक 22.06.2026 को कुल ₹3,98,000/- की साइबर धोखाधड़ी के संबंध में NCRP शिकायत संख्या 23106260118430 दर्ज कराई गई।

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई–

शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त थाना रौनापार साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंकों से ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से समन्वय स्थापित किया गया। पुलिस की कार्रवाई के फलस्वरूप आवेदक के साथ हुए कुल साइबर फ्रॉड की धनराशि में से ₹2,11,238.18/- धनराशि को NCRP पोर्टल पर होल्ड कराया गया।

होल्ड कराई गई धनराशि में से ₹12,470.86/- धनराशि को MRM पोर्टल के माध्यम से दिनांक 02.10.2026 को आवेदक के बैंक खाते में वापस कराया गया है। शेष होल्ड धनराशि को भी MRM पोर्टल पर अपडेट होने के उपरान्त नियमानुसार आवेदक के खाते में वापस कराए जाने की कार्रवाई प्रचलित है।

साइबर फ्रॉड करने का तरीका–

वर्तमान प्रकरण में ठग द्वारा विदेश भेजने/विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़ित से धनराशि प्राप्त की गई तथा बाद में न तो विदेश भेजा गया और न ही धनराशि वापस की गई। साइबर अपराधी अक्सर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फोन कॉल अथवा फर्जी एजेन्ट के माध्यम से विदेश भेजने, नौकरी दिलाने, वीजा लगवाने अथवा कम समय में विदेश भेजने का लालच देकर लोगों से ऑनलाइन/बैंकिंग माध्यम से धनराशि प्राप्त करते हैं।

साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय–

1. विदेश भेजने या नौकरी दिलाने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति/एजेन्ट के खाते में बिना सत्यापन के धनराशि ट्रांसफर न करें।
2. विदेश जाने अथवा नौकरी से संबंधित एजेन्ट की पंजीकरण एवं वैधता की जांच संबंधित सरकारी विभाग/अधिकृत माध्यम से अवश्य करें।
3. OTP, ATM PIN, CVV, UPI PIN, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड अथवा किसी भी प्रकार की गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी व्यक्ति से साझा न करें।
4. किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें तथा किसी के कहने पर कोई संदिग्ध मोबाइल एप डाउनलोड न करें।
5. UPI के माध्यम से पैसा प्राप्त करने के लिए PIN डालने की आवश्यकता नहीं होती। पैसे प्राप्त करने के नाम पर UPI PIN डालने या QR कोड स्कैन करने से बचें।
6. सोशल मीडिया/व्हाट्सएप पर मिलने वाले नौकरी, लोन, निवेश, लॉटरी, विदेश यात्रा एवं वीजा संबंधी आकर्षक प्रस्तावों पर बिना सत्यापन के विश्वास न करें।
7. साइबर ठगी होने पर देरी न करें। तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। शीघ्र शिकायत करने से ठगी की धनराशि को होल्ड कराने की संभावना बढ़ जाती है।
8. साइबर अपराध की स्थिति में अपने बैंक को तत्काल सूचना देकर खाते/लेन-देन को सुरक्षित कराएं तथा शिकायत संख्या एवं लेन-देन संबंधी सभी साक्ष्य सुरक्षित रखें।

पुलिस टीम–
थाना रौनापार साइबर टीम, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस की अपील:
साइबर अपराध से बचाव के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक, मैसेज अथवा ऑनलाइन ऑफर पर बिना सत्यापन के विश्वास न करें। साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तत्काल 1930 पर शिकायत करें।

प्रेस नोट, दिनांक–04.10.2026
थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

पुरानी रंजिश में युवक के गले में रस्सी का फंदा डालकर जान से मारने का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

दिनांक 01.09.2026 को वादी दौलत पाण्डेय पुत्र अनिरुद्ध पाण्डेय, निवासी इटैली, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी गई कि उसका भाई सौरभ पाण्डेय गोबर फेंकने अपने खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर पहले से घात लगाकर बैठे अभियुक्तगण द्वारा सौरभ पाण्डेय को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर कस दिया गया तथा लाठी-डंडा एवं लोहे की सब्बल से मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिससे वह मौके पर बेहोश हो गया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर दिनांक 11.09.2026 को मु0अ0सं0 259/2026 धारा 3(5), 109(1), 110, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम चन्द्रसेन पटेल आदि 06 अभियुक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 04.10.2026 को उ0नि0 चन्द्रदेव यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त चन्द्रसेन पटेल पुत्र रामाश्रय पटेल, निवासी ग्राम इटैली, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को उसके घर से समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 259/2026 धारा 3(5), 109(1), 110, 115(2), 352, 351(3), 117(2) बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 12/2019 धारा 323/504/506/452 भादवि, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 259/2026 धारा 3(5), 109(1), 110, 115(2), 352, 351(3), 117(2) बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

01. चन्द्रसेन पटेल पुत्र रामाश्रय पटेल, निवासी ग्राम इटैली, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 चन्द्रदेव यादव, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
2. का0 मन्टू यादव, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
3. का0 प्रमोद कुमार, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक – 04.10.2026
थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

थाना मेहनगर व थाना तरवां पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता, मंदिरों से पीतल के घंटे चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह का किया गया पर्दाफाश; जनपद आजमगढ़ के पौहारी बाबा मंदिर में हुई 02 घटनाओं एवं थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर की 01 घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थिति पौहारी बाबा मंदिर से चोरी किए गए कुल 20 पीतल के घंटे बरामद, चोरी के माल की बिक्री से प्राप्त ₹1 लाख नकद व घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह के नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी लालगंज आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेहनगर व थाना तरवां पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मंदिरों से पीतल के घंटे चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गिरोह के 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए पौहारी बाबा मंदिर से चोरी किए गए 20 पीतल के घंटे, चोरी के माल की बिक्री से प्राप्त ₹1,00,000/- नकद धनराशि तथा घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन बरामद किए गए हैं।

पूर्व की घटना का विवरण

दिनांक 29.09.2026 की रात्रि थाना मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत पौहारी बाबा मंदिर से अज्ञात चोरों द्वारा 11 पीतल के घंटे चोरी कर लिए गए थे। इसके पश्चात दिनांक 01.10.2026 की रात्रि पुनः उसी मंदिर से 09 पीतल के घंटे चोरी किए गए। इस प्रकार दोनों घटनाओं में मंदिर से कुल 20 पीतल के घंटे चोरी हुए थे। घटनाओं के संबंध में थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0 340/2026 धारा 305(डी) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।विवेचना के दौरान अभियुक्तों द्वारा चोरी किए गए घंटों को बेचने की योजना तथा चोरी के माल को खरीदने वाले व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। पूछताछ में दिनांक 07.08.2026 को थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत एक मंदिर से 04 पीतल के घंटे चोरी किए जाने की घटना भी प्रकाश में आई, जिसके संबंध में थाना सैदपुर पर मु0अ0सं0 281/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत होना सत्यापित हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 03/04.10.2026 की रात्रि थाना मेहनगर पुलिस व थाना तरवां पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 02 चार पहिया वाहनों में चोरी किए गए पीतल के घंटे रखकर कुछ व्यक्ति विशुनपुरा मोड़, खरिहानी-चिरैयाकोट मार्ग के पास एक वाहन से दूसरे वाहन में चोरी का माल स्थानांतरित कर रहे हैं। सूचना पर थाना मेहनगर के थाना प्रभारी श्री अभिराज कुमार मय टीम द्वारा चौकी प्रभारी सिंहपुर उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह तथा थाना तरवां के चौकी प्रभारी रासेपुर उ0नि0 रूपेश कुमार सिंह व पुलिस टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों की घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्तों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा आवश्यक घेराबंदी करते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे एवं निशानदेही से चोरी के 20 पीतल के घंटे, चोरी के माल की बिक्री से प्राप्त ₹1,00,000/- नकद तथा घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. श्याम गुप्ता पुत्र राजन प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम लहरतारा बौलिया, थाना मडुवाडीह, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 42 वर्ष।
2. प्रेम कुमार पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम पियरिया पोखरी, थाना चेतगंज, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 34 वर्ष।
3. पप्पू राम पुत्र विक्रमा राम, निवासी ग्राम महुलसा, थाना सादात, जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 35 वर्ष।
4. हर्ष गुप्ता पुत्र श्याम गुप्ता, निवासी चौकाघाट पानी टंकी, थाना जैतपुरा, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 20 वर्ष।
5. सतीश कुमार पुत्र लालजीत, निवासी बिजरवा पचई पट्टी, थाना सादात, जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 35 वर्ष।
6. अतुल कसेरा पुत्र दिनेश कुमार, निवासी ग्राम तुलसी चौक, थाना कटरा कोतवाली, जनपद मिर्जापुर, उम्र लगभग 30 वर्ष।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त श्याम गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि उसकी बर्तन की दुकान में लगातार घाटा हो रहा था, जिसके कारण उसने चोरी के माध्यम से रुपये कमाने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने यहां काम करने वाले सतीश कुमार व पप्पू राम तथा अपने बहनोई प्रेम कुमार और उसके साथ रह रहे हर्ष गुप्ता को साथ लिया। सभी द्वारा मंदिरों से पीतल के घंटे चोरी कर उन्हें बेचने की योजना बनाई गई। अभियुक्तों द्वारा चोरी के सामान को अतुल कसेरा, निवासी मिर्जापुर को लगभग ₹860/- प्रति किलोग्राम की दर से बेचते थे।

अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 29.09.2026 की रात्रि पौहारी बाबा मंदिर से 11 पीतल के घंटे तथा दिनांक 01.10.2026 की रात्रि पुनः उसी मंदिर से 09 पीतल के घंटे चोरी किए गए थे। चोरी किए गए कुल 20 घंटों को दोनों चार पहिया वाहनों में लादकर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा विशुनपुरा मोड़ के पास घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 07.08.2026 को थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत एक मंदिर से 04 पीतल के घंटे चोरी कर अतुल कसेरा को लगभग ₹860/- प्रति किलोग्राम की दर से बेचने की बात भी बताई गई। उक्त घटना के संबंध में थाना सैदपुर पर मु0अ0सं0 281/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत होना प्रकाश में आया है। अभियुक्तों द्वारा अन्य मंदिरों से भी घंटा चोरी किए जाने की बात बताई गई है, जिसके संबंध में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

01. थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0 340/2026 धारा 305(डी) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्तों की संलिप्तता एवं बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3(5) एवं 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

02. इसके अतिरिक्त दिनांक 07.08.2026 को थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत मंदिर से पीतल के घंटे चोरी किए जाने की घटना के संबंध में थाना सैदपुर पर मु0अ0सं0 281/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत होना प्रकाश में आया है।

अनावरण अभियोगों का विवरण

1. थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ — मु0अ0सं0 340/2026 धारा 305(डी), 3(5), 317(2) बीएनएस — दिनांक 29.09.2026 की रात्रि पौहारी बाबा मंदिर से 11 पीतल के घंटे तथा दिनांक 01.10.2026 की रात्रि पुनः उसी मंदिर से 09 पीतल के घंटे चोरी किए जाने की दोनों घटनाओं का अनावरण।

2. थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर — मु0अ0सं0 281/2026 धारा 303(2) बीएनएस — दिनांक 07.08.2026 को मंदिर से 04 पीतल के घंटे चोरी किए जाने की घटना का अनावरण।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अन्य मंदिरों से भी पीतल के घंटे चोरी किए जाने की बात बताई गई है। संबंधित घटनाओं के संबंध में अभिलेखीय सत्यापन एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण

1. चोरी किए गए कुल 20 अदद पीतल के घंटे।

2. चोरी के माल की बिक्री से प्राप्त कुल ₹1,00,000/- नकद धनराशि, जिसमें अभियुक्त प्रेम कुमार के कब्जे से ₹50,000/-, श्याम गुप्ता के कब्जे से ₹46,000/- तथा हर्ष गुप्ता के कब्जे से ₹4,000/- बरामद हुए।

3. घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन—
(क) टाटा नेक्सॉन, वाहन संख्या UP65 FF7867।
(ख) टाटा टिगोर, वाहन संख्या UP63 AE5290।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना मेहनगर पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक अभिराज सरोज, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी सिंहपुर, थाना मेहनगर।
3. हे0का0 विवेक सिंह।
4. का0 सूरज गुप्ता।
5. म0का0 राजलक्ष्मी।
6. का0 चालक अतुल शुक्ला।

थाना तरवां पुलिस टीम

1. उ0नि0 राजीव कुमार सिंह, थाना प्रभारी तरवां, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 रूपेश कुमार सिंह, चौकी प्रभारी रासेपुर, थाना तरवां।
3. का0 अरविन्द कुमार
4. का0 नीरज
5. का0 राकेश
6. का0 शिवम
7. का0 संजय

प्रेस नोट, दिनांक–04.10.2026
थाना–कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

कूटरचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी विवरण देकर पासपोर्ट बनवाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

दिनांक 31.08.2026 को उ0नि0 राकेश तिवारी, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि पासपोर्ट धारक सुनील कुमार पुत्र बुद्धिराम निषाद, निवासी ग्राम हरीपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा वर्ष 2005 में पासपोर्ट संख्या F2987665 बनवाया गया था, जिसके आधार पर पासपोर्ट संख्या M3621632 का नवीनीकरण कराया गया। इसके पश्चात पासपोर्ट धारक द्वारा पूर्व में जारी पासपोर्ट के विवरण को छिपाते हुए वर्ष 2019 में अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि में परिवर्तन कर पुनः फ्रेश कैटेगरी में आवेदन किया गया तथा दिनांक 15.10.2019 को पासपोर्ट संख्या V0011009 बनवाया गया। कूटरचित दस्तावेजों एवं परिवर्तित व्यक्तिगत विवरण के आधार पर पुनः पासपोर्ट बनवाए जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 218/2026 धारा 419/420/467/468/471 भादवि एवं धारा 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम-1967 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त सुनील

कुमार पुत्र बुद्धिराम निषाद, निवासी ग्राम हरीपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 43 वर्ष को दिनांक 04.10.2026 को समय 12:44 बजे चन्द्रमा ऋषि आश्रम पुलिया के पास सड़क किनारे से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 218/2026 धारा 419/420/467/468/471 भादवि एवं धारा 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम-1967, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सुनील कुमार पुत्र बुद्धिराम निषाद, निवासी ग्राम हरीपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 43 वर्ष।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 218/2026 धारा 419/420/467/468/471 भादवि एवं धारा 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम-1967, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 केदार नाथ मौर्य, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अरविन्द पटेल, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
3. का0 नितेश यादव, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
4. म0आ0 अनीता गुप्ता, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक 04.10.2026
थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

इन्वेस्टमेंट के नाम पर हुए साइबर फ्राड की पूरी धनराशि ₹3,39,708.12/- पुलिस ने कराई वापस

साइबर टीम की तत्परता एवं प्रभावी पैरवी से पीड़ित के खाते में वापस हुई फ्राड की रकम, पीड़ित ने पुलिस का जताया आभार

घटना का विवरण-

दिनांक 06.01.2026 को आवेदक सोनू यादव पुत्र हीरालाल यादव, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाते से इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर फ्राड किया गया। आवेदक द्वारा तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी गयी।

शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त साइबर क्राइम पोर्टल/NCRP के माध्यम से संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए फ्राड की धनराशि को विभिन्न खातों में होल्ड कराया गया। शिकायत संख्या 23101260003864 से संबंधित ₹3,35,362.20/- तथा शिकायत संख्या 23101260003971 से संबंधित ₹6,457.80/- की धनराशि को संबंधित बैंक खातों में होल्ड कराया गया।

पुलिस की कार्यवाही एवं धनराशि वापसी-

प्रभारी निरीक्षक थाना निजामाबाद राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में थाना स्थानीय की साइबर टीम द्वारा प्रकरण में त्वरित एवं नियमानुसार कार्यवाही की गयी। साइबर टीम द्वारा संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए कोर्ट आर्डर के माध्यम से साइबर फ्राड की कुल धनराशि ₹3,39,708.12/- दिनांक 08.09.2026 को आवेदक के बैंक खाते में वापस करायी गयी।

➡ धनराशि वापस प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा थाना निजामाबाद पुलिस एवं साइबर टीम का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रकट किया गया।

साइबर फ्राड किस प्रकार किया गया-

प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों द्वारा आवेदक को इन्वेस्टमेंट में अधिक लाभ/मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ऑनलाइन माध्यम से धनराशि ट्रांसफर करायी गयी तथा बाद में धनराशि वापस नहीं की गयी। इस प्रकार साइबर अपराधियों द्वारा निवेश के नाम पर विश्वास में लेकर आवेदक के साथ साइबर ठगी की गयी।

साइबर फ्राड से बचाव के उपाय-

किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा फोन/मैसेज/सोशल मीडिया के माध्यम से दिये गये निवेश के लालच एवं अधिक मुनाफे के ऑफर पर विश्वास न करें।

किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले संबंधित कंपनी/ऐप/वेबसाइट की प्रामाणिकता एवं वैधता की जांच अवश्य करें।

OTP, ATM PIN, CVV, UPI PIN, नेट बैंकिंग पासवर्ड आदि किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें।

किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई स्क्रीन शेयरिंग/रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड न करें।

व्हाट्सऐप/टेलीग्राम अथवा अन्य सोशल मीडिया ग्रुप में मिलने वाले फर्जी ट्रेडिंग/इन्वेस्टमेंट ग्रुप एवं लिंक से सावधान रहें।

साइबर फ्राड होने पर घबरायें नहीं और तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करायें तथा cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने से धनराशि को संबंधित खातों में होल्ड कराने एवं वापस कराने की संभावना बढ़ जाती है।

साइबर टीम का विवरण-

1. उ0नि0 दिलीप आनन्द
2. का0 राकेश यादव
3. का0 संदेश सिंह
4. म0आ0 रेनू देवी

आजमगढ़ पुलिस की अपील- साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें तथा किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल अथवा निवेश प्रस्ताव पर बिना सत्यापन के विश्वास न करें।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 04.10.2026
थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

फरार अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर मुनादी, 29 अक्टूबर तक उपस्थित न होने पर कुर्की की कार्यवाही की चेतावनी

मु0अ0सं0 137/2026 धारा 420/467/468/471/506 भादवि थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक गौड़ पुत्र रामबदन गौड़ निवासी ग्राम राजापुर भड़सर, थाना बिरनो, जनपद गाजीपुर लगातार फरार चल रहा है। अभियुक्त न तो पुलिस के समक्ष उपस्थित हो रहा है और न ही मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विधिक प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध NBW एवं धारा 82 सीआरपीसी (धारा 84 बीएनएसएस) के तहत आदेश जारी किया गया है। उक्त न्यायालयीय आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 04.10.2026 को थाना तरवां पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर एवं मोहल्ले में नियमानुसार मुनादी कराकर न्यायालय के आदेश से आमजन को अवगत कराया गया।

मुनादी के दौरान अभियुक्त को निर्देशित किया गया कि वह दिनांक 29.10.2026 तक मा0 न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित हो, अन्यथा उसके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही एवं कुर्की की कार्यवाही की जायेगी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 रुपेश सिंह, चौकी प्रभारी रासेपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ (विवेचक)
2. का0 अरविन्द कुमार, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 04.10.2026
थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

संक्षिप्त घटना एवं पंजीकृत अभियोग-

दिनांक 03.03.2026 को आवेदक आनन्द सेठ पुत्र स्व0 उमेशचन्द्र सेठ निवासी ग्राम व पोस्ट किशुनदासपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कन्धरापुर पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 02.03.2026 की रात्रि लगभग 21:30 से 22:30 बजे के मध्य पटवध कौतुक पुलिस बूथ के सामने उनके पिता स्व0 उमेशचन्द्र सेठ को अज्ञात वाहन के चालक द्वारा तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी गयी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 53/2026 धारा 281/106(1) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

विवेचना के दौरान उक्त घटना में रामसेवक यादव पुत्र स्व0 सुबेदार यादव निवासी देवईत, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त को पूर्व में धारा 35(3) बीएनएसएस के अन्तर्गत नोटिस देकर अपना बयान दर्ज कराने तथा घटना में प्रयुक्त/सम्बन्धित अज्ञात ट्रैक्टर के सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु थाना उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था, किन्तु अभियुक्त द्वारा थाना उपस्थित होकर अपना बयान नहीं दिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 08.09.2026 को मा0 न्यायालय आजमगढ़ से गैर-जमानतीय वारण्ट (NBW) प्राप्त कर गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 03.10.2026 को रात्रि लगभग 23:45 बजे पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर पर दबिश दी गयी, जहां अभियुक्त मौजूद मिला। नाम-पता तस्दीक होने के उपरान्त अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रामसेवक यादव पुत्र स्व0 सुबेदार यादव, निवासी देवईत, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 53/2026 धारा 281/106(1) बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अतुल कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
2. व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
3. का0 अंजनी कुमार, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
4. का0 कमलेश कुमार यादव, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक 04.10.2026
थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

मा0 न्यायालय से जारी गैर-जमानतीय वारंटों के मामलों में थाना बिलरियागंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 वारंटी गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा न्यायालय से जारी गैर-जमानतीय वारंटों के शत-प्रतिशत तामीला एवं वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के कुशल निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सगड़ी देशराज सिंह के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष बिलरियागंज अतुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना बिलरियागंज पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गयी।

अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा विभिन्न अभियोगों में जारी गैर-जमानतीय वारंटों से सम्बन्धित कुल 13 वारंटियों को दिनांक 04.10.2026 को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार वारंटियों का विवरण-

1. सुखदेव राजभर पुत्र बुद्धिराम उर्फ गोबरी, निवासी केशवपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।
2. जंगली यादव उर्फ ओमप्रकाश पुत्र तुफानी, निवासी पड़री परानपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 51 वर्ष।
3. जगदम्बा यादव पुत्र रामसरीख, निवासी पड़री परानपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।
4. अभिषेक पाण्डेय पुत्र आद्या उर्फ आद्याशंकर पाण्डेय, निवासी खालिसपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष।
5. सुशील कुमार शुक्ला पुत्र रामाश्रय शुक्ला, निवासी बरौली, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।
6. नौशाद पुत्र अफ्फान, निवासी करमैनी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष।
7. आमिर हमजा पुत्र जुबेर अहमद, निवासी करमैनी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 39 वर्ष।
8. गोविन्द कुमार पुत्र श्यामरेख, निवासी ग्राम खजियाबर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।
9. केदारनाथ मिश्रा पुत्र स्व0 रामप्यारे, निवासी सेठारी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
10. गंगा प्रसाद पुत्र देवकी, निवासी कासिमगंज, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
11. बजरंगी पुत्र शिवप्रसाद, निवासी कासिमगंज, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
12. मुसर्फ अहमद पुत्र खलील अहमद, निवासी कासिमगंज, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
13. राजू पासवान पुत्र कांता पासवान, निवासी भगतपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अतुल कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 गिरिजेश यादव, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 विनोद शंकर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
4. का0 अनिल कुमार विश्वकर्मा, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
5. का0 अनिल कुमार सरोज, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
6. का0 संजय सिंह, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
7. का0 अजीत कुमार यादव, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
8. का0 रजनीश कुमार वर्मा, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
9. का0 नागेन्द्र यादव, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
10. का0 जय सिंह पटेल, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

उत्तर प्रदेश पुलिस